दिनांक-03.09.2019 को पूर्वा० 12:00 बजे निदेशक, झारखण्ड [illegible]
एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही-

---

उपस्थिति-

1.	श्री उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से० (निदेशक) झारखण्ड शिक्षा परियोजना, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	भा०प्र०से०	उपस्थित
2	श्री रतन कुमार सिंह (उप निदेशक) (प्रभारी जैक स्थापना) माध्यमिक शिक्षा निदेश्का, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।		उपस्थित
3	श्री महीप कुमार सिंह (सचिव) झारखण्ड अधविद्य परिषद्, राँची।		उपस्थित

DS (Sri Nand)
Portal पर sinh
09/11

D.S (श्रीमती सिंह) Portal पर upload करें कृपया
9.10.19

कार्यवाही–

बैठक में JAC से प्राप्त प्रस्ताव जो JAC में सूचना प्रौद्योगिकी कोषांग (IT CELL) के गठन से संबंधित है पर विचार किया गया।

- JAC द्वारा संचालित Online परीक्षा एवं तत्सम्बन्धी विविध कार्यो को सुचारु एवं द्रुतगति से निस्पादन हेतु IT क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ के साथ IT Cell गठन को JAC सचिव द्वारा अपरिहार्य बताया गया जिसमें उपस्थित सभी सदस्यगण एकमत हुए।
- इस विन्दू पर भी विचार किया गया कि पूर्व में JAC नियमावली में पदों की संरचना भिन्न है जो आज की बदली हुई परिस्थिति में उपर्युक्त नहीं है।
- JAC का प्रस्ताव कि पूर्व के पदों से आज की बदली हुई परिस्थिति से IT क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ से पद सम्परिवर्तित कर उक्त पदों पर IT अनुभवी को नियुक्त करते हुए IT Cell का गठन किया जाय।
- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2016 की कंडिका 5 (ii) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पूर्व मे स्वीकृत पदों के अतिरिक्त आवश्यक्तानुसार स्थायी/अस्थायी पदों की संख्याँ बढ़ाने अथवा घटाने का निर्णय राज्य सरकार के अनुमोदन से झारखण्ड अधविद्य परिषद् पदो का सृजन कर सकती है।
- उक्त नियमावली की कंडिका 15 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि नियम में किसी उपबंध के संबंध में स्पष्टीकरण तथा उपबंधों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों को अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा सरकार को संसुचित किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत निरुपित किया जायेगा।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि JAC अध्यक्ष बदली हुई विधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पदों के सृजन/ सम्परिवर्त्तन हेतु नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव गठित करे जिसे सरकार के माध्यम से संशोधन कराया जाएगा।

3/9 (महीप कुमार सिंह) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची।	3/9/19 (रतन कुमार सिंह) उप निदेशक प्रभारी जैक स्थापना माध्यमिक शिक्षा निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	03/09/19 (उमा शंकर सिंह) निदेशक झारखण्ड शिक्षा परियोजना,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रधान सचिव कोषांग
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्रा० एवं मा० शिक्षा)
प्रेषण संख्या 7460
तिथि 09/10/19

03.09.19
सरोजिनी कुमारी सिंह
अवर सचिव

Scanned by CamScanner